कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल :dfohld@gmail.com

पत्रांक 1173 / 12-1 हल्द्वानी दिनांक 23/11/2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिचाई खण्ड (लो0नि0वि0),
चम्पावत।

विषय :- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डांडा मल्ला (लम्बाई 16.0 कि0मी0) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.14 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक – 8बी./यू.सी.पी./06/16/2020/एफ.सी./1674 दिनांक 28.10.2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उनके द्वारा निहित प्राविधानों करते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में निम्नानुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एड्–हॉक कैम्पा मद में धनराशि जमा कराने का कष्ट करें :–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार प्रस्तावित वन भूमि 9.14 है0 के दुगुने क्षेत्र 18.28 है0 आरक्षित वन क्षेत्र डुंगराबोंकू कक्ष संख्या 21 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रखरखाव हेतु वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित दर रूपये 3,37,184.00 (रूपये तीन लाख सैतीस हजार एक सौ चौरासी) मात्र प्रति है0 की दर से कुल धनराशि रूपये 61,63,723.52 या रूपये 61,63,724.00 (रूपये इकसठ लाख तिरेसठ हजार सात सौ चौबीस) मात्र का भुगतान एड्–हॉक कैम्पा मद में करने का कष्ट करें।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 5(क) के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.14 है0 क्षेत्र के लिए ईको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि क्रमशः रूपये 36,99,660.00 (रूपये छत्तीस लाख नियानब्बें हजार छः सौ साठ) मात्र व रूपये 34,16,400.00 (रूपये चौतीस लाख सोलह हजार चार सौ) मात्र कुल धनराशि रूपये 71,16,060.00 (रूपये इकहत्तर लाख सोलह हजार साठ) मात्र का भुगतान एड्–हॉक कैम्पा मद में करने का कष्ट करें।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 5(ख) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने का कष्ट करें तथा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रस्तुत करें।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 06 से लेकर 31 तक दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 मद की धनराशि को उपरोक्तानुसार एड्–हॉक कैम्पा मद में जमा कराते हुए जमा रसीद/चालान की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फौरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग ,हल्द्वानी